सं. 12011/03/2008-स्था.(भत्ते)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सन्तान शिक्षा भत्ता पर स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.9.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है । उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1(ग) में स्पष्ट किया गया है -

"प्रतिपूर्ति केवल स्कूल जा रहे बच्चों अर्थात् नर्सरी से 12वीं कक्षा जिनमें विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए जूनियर कॉलेजों अथवा स्कूलों द्वारा धारित 11वीं अथवा 12वीं कक्षाएं शामिल हैं, तक के बच्चों की शिक्षा पर लागू होगा ।"

"नर्सरी " की परिभाषा के संबंध में विभिन्न स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, क्योंकि 'नर्सरी' को विभिन्न संस्थानों में विभिन्न नामों से जाना जा रहा है । इस मामले पर वित्त मंत्रालय से परामर्श करके विचार किया गया । यह स्पष्ट किया जाता है कि "नर्सरी से 12वीं कक्षा" में कक्षा 1 से 12 कक्षा + नामावली का ध्यान दिए बिना कक्षा 1 से पहले की दो कक्षा शामिल होंगी ।

यह और स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी शिक्षा बोर्ड से न जुड़े हुए नर्सरी, प्राइमरी और मिडिल स्तर के स्कूल/संस्थान के संबंध में, इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की अनुमति किसी मान्यताप्राप्त स्कूल/संस्थान में अध्ययनरत बच्चों के लिए दी जाए । इस संबंध में, मान्यताप्राप्त स्कूल/संस्था का अभिप्राय, किसी सरकारी स्कूल अथवा कोई अन्य शिक्षा संस्था चाहे उसे सरकारी सहायता मिलती हो अथवा नहीं, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अथवा मान्यताप्राप्त शिक्षण प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त से है, जिसके अधिकारक्षेत्र में वह क्षेत्र आता हो, जहां संस्था स्थित हो ।

सिम्मी नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक डाकसूची के अनुसार)

सं. 12011/03/2008-स्था.(भत्ते) दिनांक 23 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी अग्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय।
2. लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव ।
4. सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ।
5. सचिव, जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-ग, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग/लोक उद्यम चयन बोर्ड के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
8. राजभाषा स्कंध (विधायी विभाग), भगवान दास रोड, नई दिल्ली ।
9. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
10. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध सहित कि वह कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर डाल दें ।
11. 50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

सिम्मी नाकरा

(सिम्मी आर. नाकरा)

निदेशक